संख्या-11/2019-687/इक्यासी-4-2019-16(बजट)/2017

प्रेषक

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनअनुभाग- 4 लखनऊ, दिनांक, 19 अगस्त, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष-2019-20 में गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 56.49 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र सं0-पी-59/36-बी-8(लोहिया ईको पार्क)/ 2019-20 दिनांक 17.07.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ''गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास'' योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रू0 56.49 लाख (रू0 छप्पन लाख उन्चास हजार मात्र) निम्नलिखित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 लाख में)
अनुदान संख्या-60-	
पूंजी लेखा-	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-	
01-वानिकी-	
800-अन्य व्यय	
17-गौरा हरदों आजमगढ में वन विहार पार्क का विकास	
24-वृहत निर्माण कार्य	56.49
योग:-	56.49

(रू0 छप्पन लाख उन्चास हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0 1132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक 7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0 1191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आंगणन के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमति संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोई उललेखनीय परिवर्तन जेसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, उच्च विशिष्टिया इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के जिम्मेदारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 की होगी।

4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगें की प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीक़त नहीं की गयी है।

5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 द्वारा पी0एफ0ए0डी0 के शर्तो एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

9- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आगणन तथा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन कार्य कराये जॉय।

10- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

11- समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियॉ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथा-आवश्यक अनुमति/ सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

12- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया

13- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थलीय कार्य अनुमोदित आंगणन एवं निर्धारित मानकों के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन को समय-समय पर उपलब्ध करायी जायेगी।

14- स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष साख-सीमा निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

15- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

16- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य के वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

17- योजनान्तर्गत कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं क्रय सम्बन्धी समस्त कार्य जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

18- उक्त के अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमोंनिर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किय/ा जायेगा। स्वीकृत धनराशि के व्यय के पूर्व नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी।

19- स्वीकृत धनराशि का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, के उक्त पत्र दिनांक 17.07.2019 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

20- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0 शासन के अ0शा0प0सं0-352/प्रा0र0मू0प्र0/17 दिनांक 31-1-2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में ही किया जायेगा।

21- उक्त के अतिरिक्त समस्त औपचारिकताओं एवं वित्तीय नियमों/संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

22- विषयगत योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति, चित्र (Photo) सहित विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त बिन्दु (Additional point) के रूप में भी विभागीय वेब-साईट पर इंगित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं। अतएव इसका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दि्वतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वन संरक्षक आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़।
7- जिलाधिकारी, आजमगढ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
11- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।